न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी सं.– 03/2025
जीसीएमएस सख्या – (2025/35)

निगरानीकर्तागण/प्रार्थीगण:–

1. पुखराज पुत्र मोहनदान जाति राव उम्र 48 वर्ष
2. हेमदान पुत्र मोहनदान जाति राव उम्र 44 वर्ष जातियान राव निवासीगण शिकारपुरा, लूणी, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण/गैर निगरानीकार:–

1. नरपतसिंह पुत्र विजयसिंह जाति राव निवासी ग्राम शिकारपुरा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
2. ग्राम पंचायत शिकारपुरा जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत शिकारपुरा।
3. ग्राम पंचायत शिकारपुरा जरिये ग्राम सेवक, ग्राम पंचायत शिकारपुरा।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्व ग्राम पंचायत शिकारपुरा द्वारा दिनांक 22.10.2014 को बुक नंबर 68 मिसल नंबर 220 पट्टा कमांक 49 अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी किया गया, को निरस्त करने हेतु।

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता श्री हरि सिंह कच्छवाह, श्री अवतार सिंह गहलोत (प्रार्थीपक्ष)।
2. अप्रार्थी संख्या 01 से 03 नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित।

आदेश **दिनांक : 28.03.2025**

1. यह निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के अंतर्गत ग्राम पंचायत शिकारपुरा, पं.स. लूणी द्वारा मिसल नंबर 220/2014 दायरा दिनांक 21.07.2014, पट्टा संख्या 49, बुक नंबर 68 दिनांक 22.10.2014 को निरस्त करने हेतु इस न्यायालय में दिनांक [illegible] को [illegible] पुखराज वगैराह द्वारा पेश की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.05.22 11:40:53 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

2. निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 नरपत सिंह को नोटिस जरिये रजिस्टर्ड दिनांक 14.07.2023 को भेजा गया तथा अगली सुनवाई तिथि 29.08.2023 नियत की गई। कंसाईनमेंट नंबर RR181324554IN से भेजा गया पत्र पोस्ट ऑफिस की ट्रेक रिपोर्ट अनुसार दिनांक 15.07.2023 को B.O. शिकारपुरा से प्राप्तकर्ता नरपतसिंह को डिलीवर हुआ। बावजूद नोटिस तामिल अप्रार्थी सं. 1 अनुपस्थित रहा। अतः उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये जाते है। ग्राम पंचायत शिकारपुरा से मूल अभिलेख मंगवाया गया।

3. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य प्रार्थी अनुसार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की रहवासीय व व्यवसायिक जायदाद वाके शिकारपुरा में आई हुई है। जिस पर प्रार्थीगण के ठांव बने हुए है तथा दुकाने बनी हुई है, जिस पर पहले प्रार्थी के पिता का कब्जा व स्वामित्व था तथा वर्तमान में प्रार्थीगण का कब्जा स्वामित्व है। जिसका इन्द्राज प्रार्थी के पिता के पक्ष में जारी पट्टे में किया गया है, जिसका नाप 11 फीट 03 इंच गुणा 22 फीट 9 इंच है। जायदाद में दो मंजिला निर्माण कार्य किया हुआ है। पूर्व में यह संपति प्रार्थी व दलपतदान की शामलाती थी, जिसका इन्द्राज दिनांक 05.09.2004 को जारी पट्टे में किया हुआ है, जिसके कारण जायदाद में प्रार्थीगण को 1/2 हिस्सा है, जबकि अप्रार्थी सं. 1 ने दलपतदान से जायदाद खरीदकर अपने नाम से पूरी भूमि का पट्टा प्राप्त किया है, जबकि अप्रार्थी सं. 1 ने 1/2 हिस्सा ही खरीदा है, जो गलत है। ग्राम पंचायत को नियम 157(1) के तहत सिर्फ 50 वर्षों से अधिक पुराने निर्मित भवनों बाबत नियमितीकरण का अधिकार है परंतु ग्राम पंचायत ने अपंजीकृत इकरारनामा के आधार पर पट्टा जारी किया है। कब्जाधारी ने 80,000/– रूपये में बेचान किया है, वह राशि ग्राम पंचायत को मिलनी चाहिए। जब अप्रार्थी 01 ने 1/2 हिस्सा ही खरीदा है, तो पट्टा पूरी भूमि का गलत बनाया है, जबकि अप्रार्थी संख्या 01 का कब्जा ही नहीं है। पट्टा जारी करते वक्त मौका निरीक्षण नहीं किया गया तथा कार्यालय में बैठकर पट्टा बनाया है।

पट्टा जारी करते समय विधिक प्रकिया की पालना नहीं की गई है। सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी ही नहीं की गई। अप्रार्थी सं. 1 के पुराने कब्जे की जाचं ही नहीं की गई। अतः जारी पट्टा गैर कानूनी होने से निरस्त किया जावे।

4. बहस सुनी गई। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री हरी सिंह कच्छवाह ने निगरानी मीमो में अंकित कथनों को दोहराते

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.05.22 11:40:53 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

हुए कथन किया कि दिनांक 23.03.2006 को दलपतदान ने विवादग्रस्त मकान में अप्रार्थी सं. 1 को आधा हिस्सा इकरारनामा से बेचा था तथा दिनांक 27.07.2012 को पूरी रकम 80,000/– रूपये अदा कर दी थी परंतु ग्राम पंचायत ने 1/2 हिस्सा की जगह पूरे मकान का पट्टा अप्रार्थी सं. 1 के नाम जारी किया है, जो गलत है। ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी करने में प्रकिया की पालना नहीं की। निरीक्षण कमेटी द्वारा किस तिथि को मौका देखा, इसका रिपोर्ट में अंकन नहीं है। आक्षेप आमंत्रित करने के नोटिस पर तारीख ही नहीं है। नोटिस को मौका पर कब चस्पा किया गया। मौजीज व्यक्तियों–बयानों में ओमप्रकाश व पुखराज के नाम है, परंतु बयानों पर इनके हस्ताक्षर हीं नहीं है। इसी प्रकार शपथ पत्र पर नरपत सिंह के हस्ताक्षर ही नहीं है तथा शपथपत्र तस्दीकसुदा ही नहीं है।

ग्राम पंचायत की ऑर्डरशीट मात्र दिखावे के लिए तैयार की है, जिसमें फॉर्मेट पहले से ही प्रिन्टेड है तथा प्रस्ताव संख्या व तारीख भी प्रिन्टेड है परंतु नरपतसिंह का नाम बाद में लिखा है, जो नियमानुसार सही नहीं है। बैठक कार्यवाही दिनांक 06.08.2014 में मिसल संख्या दर्ज ही नहीं है। अतः यह पट्टा नियमों के विरूद्ध जारी किया गया है। अतः निरस्त योग्य होने से निरस्त किया जावे।

5. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन किया। ग्राम पंचायत से प्राप्त मिसल संख्या 220/2014 में उपलब्ध कार्यवाही विवरण व अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा बहस में प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया तथा संबंधित विधि प्रावधानों का परिशीलन किया–

a) इस प्रकरण में ग्राम पंचायत शिकारपुरा ने अप्रार्थी संख्या 1 श्री नरपत सिंह के प्रार्थना पत्र दिनांक–शून्य पर मिसल संख्या 220 दिनांक 21.07.2014 को खोली जाकर प्रकिया प्रारंभ की तथा दिनांक 22.10.2014 को पट्टा कमांक 49, बुक संख्या 68, प्रस्ताव संख्या 4 दिनांक 06.10.2014 की पालना में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत 28.437 वर्गगज का पट्टा जारी किया है। यह पट्टा उप पंजीयक लूणी के कार्यालय में दिनांक 31.01.2019 को पुस्तक संख्या 1, जिल्द 264, पृष्ठ 178 कमांक 201903063100325 पर पंजीबद्ध किया जाकर अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द 1000 के पृष्ठ संख्या 278 से 282 पर चस्पा किया है तथा ग्रामसभा द्वारा दिनांक 26.12.2018 को प्रस्ताव संख्या 4 से ग्राम विकास अधिकारी ने नवीनीकरण किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.05.22 11:40:53 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

b) दिनांक 21.07.2014 के प्रस्ताव सं. 02 का अंकन पत्रावली की आदेशिका दिनांक 21.07.2014 में अंकन इस प्रकार है कि प्रार्थी नरपत सिंह पुत्र विजयसिंह राव का प्रार्थना पत्र नियम 145 के तहत पुश्तैनी कब्जासुद मकान का पट्टा बनाने हेतु पेश होने पर मिसल दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थना पत्र के समर्थन में स्थल निरीक्षण फीस जमा होने का अंकन नहीं है तथा ग्राम सेवक के हस्ताक्षर भी नहीं है तथा प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी नरपत सिंह के हस्ताक्षर भी नहीं है, फिर भी सरपंच ने आवेदन प्राप्त किया है। प्रार्थना पत्र के संलग्न नक्शा में भुजाओं का नाप व क्षेत्रफल 28.437 वर्गगज अंकित है परंतु इस पर प्रार्थी नरपत सिंह के हस्ताक्षर हीं नहीं है।

c) दिनांक 06.08.2014 को प्रस्ताव संख्या 1 से मौका निरीक्षण कमेटी वार्ड पंच बींजाराम, ढलाराम व सीतादेवी की गठित की, जिसने विवादित भूमि का मौका निरीक्षण कब किया, इसका कोई अंकन मौका रिपोर्ट में नहीं है तथा रिपोर्ट पर ग्राम सेवक महेन्द्रसिंह के हस्ताक्षर भी नहीं है तथा कमेटी ने मौके पर निर्माण होने का कोई तथ्य अंकित नहीं किया है तथा न ही मौके का नक्शा बनाया है। इस प्रकार नियम 146 के प्रावधानों की अनदेखी हुई है। ग्राम पंचायत की बैठक कार्यवाही में ग्रामसेवक व सरपंच के हस्ताक्षर भी नहीं है अर्थात् बैठक कार्यवाही विवरण ग्राम सेवक व सरपंच के हस्ताक्षरों से प्रमाणित नहीं है।

d) दिनांक 21.08.2014 की आदेशिका में प्रस्ताव संख्या 2 का हवाला देकर मौका रिपोर्ट पर सार्वजनिक आपत्तियां नियम 148 में आमंत्रित करने का उल्लेख है परंतु ग्राम पंचायत की बैठक कार्यवाही सरपंच व ग्रामसेवक द्वारा प्रमाणित नहीं होने से अमान्य है। आदेशिका में लिखा है कि पंचो ने निरीक्षण रिपोर्ट बिना किसी आपत्तियों के मय नक्शा पेश की है जबकि पत्रावली पर पंचों द्वारा प्रमाणित कोई नक्शा उपलब्ध ही नहीं है। नियम 148 के तहत प्रारूप 22 में जारी नोटिस की प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है परंतु इस नोटिस को जारी करने का क्रमांक व तारीख अंकित ही नहीं है। इस नोटिस को किस तारीख को, किन–किन स्थानों पर, किसके द्वारा, किन मौतबिरान के समक्ष चस्पा किया है, इसका कोई अंकन नोटिस की पुस्त पर अंकित नहीं है। इस प्रकार आपत्तियां आमंत्रित करने की [illegible] की अवधि का निर्धारण नहीं किया जा सकता, [illegible] है तथा विधिवत आपत्तियां आमंत्रित कर उनका विधिवत [illegible] नहीं पाया जाता है। अतः पट्टे जारी करने में की गई अग्रिम कार्यवाही [illegible] रूप से अवैध है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.05.22 11:40:53 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

e) दिनांक 06.09.2014 की आदेशिका में प्रस्ताव संख्या 02 के हवाले से नरपतसिंह का पुराना कब्जा होना गवाहों के बयानों के आधार पर बताया है परंतु आदेशिका में गवाहों के नाम ही नहीं है तथा प्रिंटेड आदेशिका के कॉलम रिक्त है तथा प्रार्थी का भूखण्ड पर मकान या बाडा बना हुआ मानकर नियम 150 से 156 तक की कार्यवाही नहीं करने का निर्णय लिया है, जो रिकॉर्ड से बिल्कुल ही साबित नहीं है। मौतबिरान के बयानों का छपा छपाया फॉर्म में ओमप्रकाश व पुखराज के नाम लिखे हुए है परंतु इनके हस्ताक्षर फॉर्म पर नहीं है। इसी प्रकार आवेदक के नाम का छपा छपाया शपथ पत्र का फॉर्म पत्रावली पर है परंतु उस पर आवेदक नरपतसिंह के हस्ताक्षर भी नहीं है, तस्दीक होना तो बाद की बात है। पंचायत बैठक की कार्यवाही प्रमाणित ही नहीं है।

f) दिनांक 22.09.2014 की आदेशिका में प्रस्ताव संख्या 1 के हवाले से सार्वजनिक नोटिस के विरूद्ध कोई आपत्तियां प्राप्त नहीं होने का जिक्र है परंतु 22.09.2014 की पंचायत बैठक की कार्यवाही ग्राम सेवक द्वारा प्रमाणित ही नहीं है।

g) दिनांक 06.10.2014 की आदेशिका अनुसार प्रस्ताव संख्या 4 से नरपतसिंह के नाम पट्टा जारी करने का अंकन है परंतु आदेशिका में भूखण्ड का क्षेत्रफल अंकित ही नहीं है तथा नियम 157(1) के तहत जारी करने का अंकन है, परंतु यह कार्यवाही विवरण सरपंच व ग्राम सेवक के हस्ताक्षरों से प्रमाणित ही नहीं है तथा न ही इसमें मिसल संख्या 220 का अंकन है।

दिनांक 22.10.2014 के प्रस्ताव संख्या 02 को अंकन करते हुए पट्टा बुक संख्या 68 पट्टा संख्या 49 में पट्टा जारी करना आदेशिका में अंकित है परंतु बैठक कार्यवाही विवरण सरपंच व ग्राम सेवक द्वारा प्रमाणित नहीं है, मिसल संख्या 01 से .... (रिक्त) पेश का अंकन है।

उपर्युक्त विवरणानुसार विवादित पट्टा जारी करने की कार्यवाही दिनांक 21.07.2014 से प्रारंभ हुई तथा 22.10.2014 को समाप्त हुई, जिसमें किसी भी बैठक की कार्यवाही को सरपंच व ग्राम सेवक ने प्रमाणित नहीं किया है अर्थात् बैठक दिनांक 21.07.2014, 06.08.2014, 21.08.2014, 06.09.2014, 22.09.2014, 06.10.2014 व 22.10.2014 की कार्यवाही प्रमाणित ही नहीं है।

h) प्रार्थी ने दिनांक 23.03.2006 व 27.07.2014 के इकरारनामा की लिखित की फोटो कॉपी पेश की है, जिसमें दस्तावेज द्वारा 1/2 हिस्सा नरपतसिंह को बेचना बताया है, लेकिन इन फोटोकॉपी में संपति के न तो पडौस लिखे है

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.05.22 11:40:53 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

तथा न ही भुजाओ का नाप लिखा है। इसी प्रकार दिनांक 25.10.2004 को जारी पट्टा संख्या 159 की फोटोकॉपी पेश की है, जो अपठनीय है।

6. उपर्युक्त तथ्यात्मक विश्लेषण से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत ने विवादित पट्टा जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 145, 146, 148, 157 की पूर्ण रूप से अवहेलना की है तथा अप्रार्थी सं. 1 का विवादित भूखण्ड पर पुराना कब्जा होने का कोई सबूत पत्रावली पर मौजूद नहीं है, फिर भी नियम 157 (1) के तहत प्रारूप 23–क में 200/– रूपये की राशि वसूल कर पट्टा जारी किया है। आवेदक का प्रार्थना पत्र व शपथपत्र पर हस्ताक्षर तक नहीं है। ग्राम पंचायत की बैठक कार्यवाहियां प्रमाणित नहीं है तथा नियम 148 के तहत 01 माह की अवधि में सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित नहीं की है। इसके अतिरिक्त बिना विधिक प्रकिया अपनाए दिनांक 22.10.2014 को जारी पट्टे का दिनांक 26.12.2018 को नवीनीकरण ग्रामसेवक ने किया है, जो गलत है। इस प्रकार विधिक प्रावधानों की अवहेलना कर जारी पट्टे को कभी भी निरस्त किया जा सकता है, ऐसा ही मत चिमनलाल बनाम राजस्थान राज्य 2000(2) W.L.C. (Raj) 1 में अभिनिर्धारित किया गया है।

S.B.C.W.P. No. 5735/2021 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.11.2024 के अनुसार धारा 97 में निगरानी पेश करने हेतु कोई म्याद निर्धारित नहीं है।

इसी प्रकार रजिस्टर्ड पट्टों को भी निगरानी में निरस्त किया जा सकता है, जैसा कि D.B. Civil SAW No. 656/2017 झूमरराम बनाम एडीएम द्वितीय, जोधपुर में पारित निर्णय दिनांक 15.12.2017 में कमलादेवी बनाम स्टेट D.B. Civil SAW No. 136/2017 में पारित निर्णय दिनांक 27.03.2017 का अनुसरण करते हुए अभिनिर्धारित किया कि ग्राम पंचायत द्वारा 1996 के नियमों के विपरित जारी रजिस्टर्ड पट्टे धारा 97 के अंतर्गत निगरानी में निरस्त किये जा सकते है। ऐसा ही मत घेवरचंद व अन्य बनाम राजस्थान राज्य 2017(3) आरजेटी–1995 में व्यक्त किया गया है। नागरमल बनाम अति. कलक्टर, सीकर 2013(1) डब्ल्यूएलसी (राज) 768 व नगर परिषद पाली बनाम दीनदयाल D.B. Civil SAW No. 485/2017 निर्णय दिनांक 16.07.2015 में भी ऐसा ही मत प्रतिपादित किया गया है।

7. इसके अतिरिक्त प्रार्थी ने भूखण्ड पर [illegible] होना बताया है तथा भूखण्ड का नाप 11 फीट 03 इंच गुणा 22 फीट 09 [illegible] अर्थात 28.437 वर्गगज है। इतने छोटे भूखण्ड का आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा [illegible] करना ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में सही

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.05.22 11:40:53 IST
Reason: Self Attested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

होना प्रतीत नहीं होता है। ग्राम पंचायत को वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ नियम 157 (1) के तहत भूमि का नियमन करने की कोई क्षेत्राधिकारिता ही नहीं है।

8. उपर्युक्त तथ्यात्मक एवं विधिक विवेचनानुसार ग्राम पंचायत शिकारपुरा द्वारा मिसल संख्या 220 दायरा तारीख 21.07.2014 बुक संख्या 68 प्रस्ताव सं. 4 दिनांक 06.10.2014 की अनुपालना में प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 22.10.2014 द्वारा जारी पट्टा सं. 49 क्षेत्रफल 28.437 वर्गगज विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। फलस्वरूप यह निगरानी याचिका स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत शिकारपुरा द्वारा मिसल संख्या 220 दायरा तारीख 21.07.2014 बुक संख्या 68 प्रस्ताव सं. 4 दिनांक 06.10.2014 की अनुपालना में प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 22.10.2014 द्वारा जारी पट्टा सं. 49 व इस पट्टे को जारी करने हेतु पारित अन्य समस्त प्रस्ताव भी निरस्त किये जाते है। ग्राम पंचायत से प्राप्त मूल अभिलेख तुरन्त लौटाया जावे। ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत शिकारपुरा उक्त पट्टे की कार्यालय प्रति पर निरस्तीकरण का नोट अंकित करे।

9. निर्णय की प्रति विकास अधिकारी, पंचायत समिति, लूणी को भी उक्त पट्टे की पंचायत समिति में जमा प्रति पर निरस्तीकरण का नोट लगाने हेतु भेजी जावे।

10. निर्णय की प्रति उप पंजीयक लूणी को भी दिनांक 31.01.2019 को पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 264 में पृष्ठ संख्या 178 कम संख्या 201903063100323 पर पंजीबद्ध तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 01 जिल्द 1000 के पृष्ठ 278 से 282 पर चस्पा किये बेचान दस्तावेज पर पट्टा संख्या 49 के निरस्तीकरण का नोट लगाने हेतु भेजी जावे।

11. पत्रावली बाद तामिल व तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। नंबर से कम हो।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

यह निर्णय आज दिनांक 28.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.05.22 11:40:53 IST
Reason: SelfAttested

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर